रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265636
CG-DL-E-22082025-265636

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 526] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 570(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन, सचिवालय सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन, सचिवालय सुरक्षा बल, सहायक कमांडेंट भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इसनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वहउसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक कमांडेंट	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500/- रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होगा ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35400-112400/- रु.) में ऐसे निरीक्षक जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, के साथ निम्नलिखित पात्रता मानदंड रखते हों, अर्थात् :- (क) चिकित्सा प्रवर्ग - शेप - वन ; (ख) अभ्यर्थी ने समय समय पर यथाविनिश्चित विषयक्षेत्र या क्षेत्र में आठ सप्ताह का प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन के अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधारपर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/- रु.) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 8 (47600-151100/- रु.) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में न्यूनतम चार वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं अर्थात :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री । और (ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून या कंपनी के मुख्य प्रबंधन और प्रशासन में दो वर्ष या अनुभव । **टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन याविभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे । 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग **- अध्यक्ष;** 2. संयुक्त सचिव प्रभारी, प्रशासन, गृह मंत्रालय **- सदस्य;** 3. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गृह मंत्रालय **- सदस्य;** 4. उप सचिव या प्रशासन के निदेशक प्रभारी गृह मंत्रालय **- सदस्य ।** **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे ।** 1. संयुक्त सचिव प्रभारी, प्रशासन, गृह मंत्रालय **- अध्यक्ष;** 2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गृह मंत्रालय **- सदस्य;** 3. उप सचिव या प्रशासन के निदेशक प्रभारी, गृह मंत्रालय **- सदस्य ।**	लागू नहीं होता । प्रोन्नति की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/02/2023/एसएसओ-II]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025

G.S.R. 570(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant in the Secretariat Security Force, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Secretariat Security Force, Secretariat Security Organisation, Assistant Commandant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the union public service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemenand other special categories of persons in accordance withthe orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age- limit for direct recruits**	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Assistant Commandant	01*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix. (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption,grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion:Inspector in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)with ten years' regular service possessing the following eligibility criteria, namely :- (a) Medical category-SHAPE-ONE; (b) The candidate shall have successfully completed eight weeks of training or course infield or area as decided from time to time.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

deputation:Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police Organisation or State Police Organisations:-

(a) (i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii**)** with minimum twoyears servicein the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800)or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with minimum fouryears' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100)or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification andexperiencenamely:-

(i) Bachelors Degree from any recognised University or institute. and

(ii) two years experiencein ManManagement and Administration of platoon or company of Central Armed Police Forces.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-four yearsas on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary in-charge, Administration, Ministry of Home Affairs – Member;	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmations) consisting of: -** 1. Joint Secretary in-charge, Administration, Ministry of Home Affairs – Chairman;

3. Chief Security Officer, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Secretary or Director in-charge of Administration, Ministry of Home Affairs - Member.	2. Chief Security Officer, Ministry of Home Affairs -Member; 3. Deputy Secretary or Director in-charge of Administration, Ministry of Home Affairs -Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary in case of promotion.

[F. No. A.12018/02/2023/SSO-II]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA